(687)

संख्याः / /XXIV(1)/2019 -02/2018

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून : दिनाँकः 16 अगस्त, 2019

विषयः दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–प्रा0शि0–दो(02)/4977/272(17)/2019–20 दिनांक 07 जून, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने हेतु समसामयिक शासनादेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय प्रस्ताव के सम्यक् परीक्षणोपरान्त शासनादेश संख्या–1177/XXIV(1)/2016-11/2005 Vol-II दिनांक 07.09.2016 को अतिक्रमित करते हुये द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण एवं प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम को निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अधीन प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण में चयन हेतु प्रवेश परीक्षा एवं अन्य गतिविधियों हेतु नियन्त्रक प्राधिकारी : दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित किये जाने, परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को जनपद आवंटन करने व राज्य के समस्त जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में संचालित दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण के पर्यवेक्षण हेतु निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड नियन्त्रक प्राधिकारी होंगी।

2. दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण में चयन हेतु प्रवेश परीक्षा की पात्रता :–

(क) उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 59/XXX-2/19/01(17)/2012 दिनांकः 07 फरवरी, 2019 द्वारा संशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019 के द्वारा संशोधित नियम 4 उपनियम (2) "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो,

Scanned by CamScanner

परन्तु यह कि सैनिक/ अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/ अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाऐं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानान्तरित नहीं हो सकती हों, तथा राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका हेतु राज्य के बाहर निवासरत हैं, स्वयं तथा इनके पुत्र/पुत्री समूह "ग" के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होगें। "के अनुसार अभ्यर्थी दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

(ख) अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी जनपद में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन किया जा सकेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को आवेदन करते समय राज्य के समस्त 13 (तेरह) जनपदों को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर वरीयता दी जानी होगी। किन्तु आवेदन पत्र में प्रथम वरीयता अपने गृह जनपद को ही दी जानी होगी। अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा हेतु अपने गृह जनपद के परीक्षा केन्द्रों में ही सम्मिलित हो सकेगा।

(ग) अभ्यर्थी द्वारा दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा मानविकी (विज्ञानेत्तर) विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गयी हो।

(घ) अभ्यर्थी की आयु प्रशिक्षण प्रारम्भ होने वाले वर्ष की प्रथम जुलाई को 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा में छूट केवल स्वयं के लिए राज्य द्वारा निर्धारित नियमानुसार देय होगा।

(ङ) कार्मिक विभाग द्वारा सेवायोजन में विभिन्न श्रेणीं के अभ्यर्थियों को उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने हेतु जारी शासनादेशानुसार उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज (Vertical & Horizontal) आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(च) दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु जनपदवार आवंटित सीटों के प्रति 50 प्रतिशत विज्ञान वर्ग तथा 50 प्रतिशत विज्ञानेत्तर वर्ग के अभ्यर्थियों को चयनित किया जायेगा। किन्तु विज्ञान एवं विज्ञानेत्तर वर्ग में आवंटित सीटों में विषयों का विभाजन उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (यथा संशोधित नियमावली) के नियम 9 उप नियम (क) (एक) में सहायक अध्यापक, प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञान एवं विज्ञानेत्तर विषयों के अन्तर्गत विषयवार किये गये विभाजन के अनुसार किया जायेगा।

(छ) दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण स्व वित्त पोषित रूप से संचालित किया जायेगा। दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रतिवर्ष हेतु रू0 35000/- (पैंतीस हजार मात्र) प्रशिक्षण शुल्क लिया जायेगा एवं प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रति

सेमेस्टर रु0 650/– परीक्षा शुल्क लिया जायेगा। प्राप्त शुल्क निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण के निवर्तन पर रखा जायेगा।

(ज) दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षणोपरान्त राजकीय सेवा में सेवायोजित किये जाने की कोई बाध्यता नहीं होगी किन्तु तत्समय प्रचलित सेवा नियमावली में विहित न्यूनतम प्रशिक्षण/अन्य निर्धारित योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही नियमानुसार सेवा में लिया जायेगा।

3. चयन का आधार :–

दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की मैरिट के आधार पर किया जायेगा।

4. लिखित परीक्षा :–

लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। परीक्षा की अवधि 02 घण्टे होगी, जिसमें 200 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के 04 विकल्प दिये जायेंगे, जिनमें एक विकल्प सही होगा। प्रश्न मुख्यतः सामान्य ज्ञान/बोध, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति, संख्यात्मक योग्यता एवं शिक्षण अभिरूचि विषयों पर आधारित होंगे, जिनका ज्ञान एक सामान्य स्नातक से अपेक्षित है। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन ओ0एम0आर0 शीट आधारित होगा। अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर उसे परीक्षा में सम्मिलित कराया जायेगा, तत्पश्चात् सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जॉच कर अन्तिम चयन की कार्यवाही की जायेगी।

5. परीक्षा संस्था :–

दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद के अन्तर्गत गठित विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जायेगा। प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थान ही विज्ञापित सीटों के सापेक्ष, श्रेणीवार, वर्गवार तथा आरक्षणानुसार पृथक–पृथक सूची तैयार कर अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड देहरादून को उपलब्ध कराने हेतु निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित करेगा। अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड द्वारा प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांकों के वरीयता क्रमानुसार जनपद आवंटन करने के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों की सूची सम्बन्धित जनपदों के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करवाई जायेगी।

6. प्रवेश हेतु चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार किया जाना :–

(क) अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य स्तर पर एवं आरक्षित श्रेणीवार निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत उनकी पृथक–पृथक योग्यता सूची तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में योग्यता सूची तैयार की जायेगी। डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु विज्ञापित सीटों की संख्या के सापेक्ष चयन सूची के साथ ही 25 प्रतिशत अभ्यर्थियों की विज्ञान/विज्ञानेत्तर में उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण वार प्रतीक्षा सूची भी निर्गत की जायेगी एवं जिस वर्ग/

श्रेणी का अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होता है, तो उसी वर्ग/ श्रेणी के अभ्यर्थी को आमन्त्रित किया जायेगा। किन्तु प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र/ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को आवंटित 60 सीटों की पूर्ति होने तक उक्त प्रतीक्षा सूची को विस्तारित किया जा सकेगा। योग्यता सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु जनपद का आवंटन उनकी काउंसलिंग के आधार पर किया जायेगा। जनपद आवंटन में अभ्यर्थी के गृह जनपद को प्रथम वरीयता प्रदान की जायेगी, किन्तु यदि किसी अभ्यर्थी को योग्यता सूची के अनुसार उसका गृह जनपद प्राप्त नहीं होता है तो उसे अन्य किसी जनपद का विकल्प देने की अनुमति प्रदान की जायेगी। काउंसलिंग के समय चयनित अभ्यर्थियों से डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु उक्तानुसार विकल्प भरवा कर जिले आवंटित किये जायेंगे।

(ख) चयनित अभ्यर्थियों की सूचियों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को भेजने का उत्तरदायित्व एस0सी0ई0आर0टी0 , उत्तराखण्ड का होगा।

7. राज्य स्तर डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा एवं प्रवेश हेतु समिति का गठनः–

डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित मामलों पर पात्र अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जायेगीः–

1. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण	:–	अध्यक्ष/परीक्षा नियन्त्रक प्राधिकारी
2. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0	:–	सदस्य सचिव
3. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर द्वारा नामित अपर सचिव स्तर का एक अधिकारी	:–	सदस्य
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित एक श्रेणी–2 का अधिकारी (अनु0जा0/ अनु0ज0जा0/अ0पि0व0 से सम्बन्धित)	:–	सदस्य

8. दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण एवं सेमेस्टर मूल्यांकन :–

सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में दो वर्षीय प्रशिक्षण हेतु अध्ययनरत् प्रशिक्षणार्थियों का सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कार्यों का सेमेस्टर मूल्यांकन, वार्षिक मूल्याकंन, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा सम्पादित कराया जायेगा। प्रति सेमेस्टर की परीक्षा से पूर्व आन्तरिक आंकलन के अंक कम से कम 15 दिन पहले बोर्ड को उपलब्ध कराने का दायित्व प्राचार्य, सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का होगा।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध करवाये जायेगे।

9. डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा शुल्क :–

दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र के शुल्क की दरें निम्नवत् निर्धारित होगी :–

1. सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए :– रु0 500/–

श्रेणी का अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होता है, तो उसी वर्ग/ श्रेणी के अभ्यर्थी को आमन्त्रित किया जायेगा। किन्तु प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र/ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को आवंटित 60 सीटों की पूर्ति होने तक उक्त प्रतीक्षा सूची को विस्तारित किया जा सकेगा। योग्यता सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु जनपद का आवंटन उनकी काउंसलिंग के आधार पर किया जायेगा। जनपद आवंटन में अभ्यर्थी के गृह जनपद को प्रथम वरीयता प्रदान की जायेगी, किन्तु यदि किसी अभ्यर्थी को योग्यता सूची के अनुसार उसका गृह जनपद प्राप्त नहीं होता है तो उसे अन्य किसी जनपद का विकल्प देने की अनुमति प्रदान की जायेगी। काउंसलिंग के समय चयनित अभ्यर्थियों से डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु उक्तानुसार विकल्प भरवा कर जिले आवंटित किये जायेंगे।

(ख) चयनित अभ्यर्थियों की सूचियों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को भेजने का उत्तरदायित्व एस0सी0ई0आर0टी0 , उत्तराखण्ड का होगा।

7. राज्य स्तर डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा एवं प्रवेश हेतु समिति का गठनः—

डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित मामलों पर पात्र अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जायेगी:—

1. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण	:—	अध्यक्ष/परीक्षा नियन्त्रक प्राधिकारी
2. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0	:—	सदस्य सचिव
3. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर द्वारा नामित अपर सचिव स्तर का एक अधिकारी	:—	सदस्य
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित एक श्रेणी—2 का अधिकारी (अनु0जा0/ अनु0ज0जा0/अ0पि0व0 से सम्बन्धित)	:—	सदस्य

8. दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण एवं सेमेस्टर मूल्यांकन :—

सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में दो वर्षीय प्रशिक्षण हेतु अध्ययनरत् प्रशिक्षणार्थियों का सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कार्यों का सेमेस्टर मूल्यांकन, वार्षिक मूल्याकंन, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा सम्पादित कराया जायेगा। प्रति सेमेस्टर की परीक्षा से पूर्व आन्तरिक आंकलन के अंक कम से कम 15 दिन पहले बोर्ड को उपलब्ध कराने का दायित्व प्राचार्य, सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का होगा।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध करवाये जायेगे।

9. डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा शुल्क :—

दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र के शुल्क की दरें निम्नवत् निर्धारित होगी :—

1. सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए :— रु0 500/—

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए : रु0 250/-
3. सभी वर्गों के निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए :- रु0 125/-

10. अन्य नियम :-

(क) डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रविष्ट अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कराया जायेगा। प्रमाण पत्र फर्जी/ कूटरचित पाये जाने पर प्रवेश निरस्त करने के साथ ही कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी। इस आशय का शपथ पत्र भी अभ्यर्थी को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के समय जमा कराना होगा।

(ख) दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवर्ष 50 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

11. दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा हेतु समय सारिणी :

प्रत्येक वर्ष, दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा के आयोजन हेतु अधिकृत संस्थान द्वारा निम्न कार्यक्रमानुसार परीक्षा सम्पादित की जायेगी :-

1	दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र के विवरणिका तैयार करना	माह फरवरी–मार्च में
2	विज्ञप्ति जारी करने की तिथि	माह अप्रैल में
3	आवेदन पत्र भरने की तिथि	माह अप्रैल– मई
4	परीक्षा केन्द्र, प्रवेश पत्र निर्माण एवं अभ्यर्थियों को प्रेषण की तिथि	माह मई–जून
5	परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा सामग्री आदि का प्रेषण	माह जून–जुलाई
6	प्रस्तावित परीक्षा तिथि	माह जुलाई
7	परीक्षाफल निर्माण एवं घोषणा	माह अक्टूबर
8	सफल अभ्यर्थियों को जनपद आवंटन हेतु काउंसलिंग की अवधि	माह अक्टूबर–नवम्बर:–दिसम्बर

नोटः– वर्तमान सत्र 2019–20 में दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा का आयोजन उक्त बिन्दु–1 से बिन्दु–10 तक में दी गई व्यवस्थानुसार जुलाई–अगस्त, 2019 के किसी एक दिवस को किया जायेगा, इस हेतु परीक्षा नियन्त्रक निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण तथा सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर द्वारा तिथि निर्धारित की जायेगी। शेष आगामी वर्षों में बिन्दु–11 में प्रस्तावित समय सारिणी के अनुसार दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा सम्पादित की जायेगी।

(आर.मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

(6)

(677)

संख्याः-433/ XXIV(1)/2019 /02/2018 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

(आर.मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

संख्याः / /XXIV(1)/2019 -02/2018

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून : दिनाँक: 2 | अक्टूबर, 2019

विषयः **दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–प्रा0शि0–दो (02)/12927/272(17)/2019–20 दिनांक 27.09.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि शासनादेश संख्या–433/XXIV(1)/2019-02/2018 दिनांक 16.08.2019 में कतिपय संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में है।

2– अतः डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या–433/XXIV(1)/2019-02/2018 दिनांक 16.08.2019 में उल्लिखित प्राविधानों पर सम्यक् विचारोपरान्त, निम्नवत् संशोधित किया जाता है:–

शासनादेश दि0 16.8.2019 में अंकित बिन्दु संख्या	शासनादेश संख्या–16.08.2019 में उल्लिखित नियम	संशोधित नियम
2–2.(ख)	अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी जनपद में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन किया जा सकेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को आवेदन करते समय राज्य के समस्त 13 (तेरह) जनपदों को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर वरीयता दी जानी होगी। किन्तु आवेदन पत्र में प्रथम वरीयता अपने गृह जनपद को ही दी जानी होगी। अभ्यर्थी प्रवेश	अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी जनपद में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन किया जा सकेगा। अभ्यर्थी से प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शहरों के विकल्प भरवाये जायेंगे। अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा केन्द्रों के आवंटन हेतु उसके विकल्पों के आधार पर वरीयता दी जायेगी। अभ्यर्थी को आवेदन करते समय राज्य के समस्त 13 (तेरह) जनपदों को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के

	परीक्षा हेतु अपने गृह जनपद के परीक्षा केन्द्रों में ही सम्मिलित हो सकेगा।	आधार पर वरीयता दी जानी किन्तु आवेदन पत्र में प्रथम अपने गृह जनपद को ही दी ज होगी।
2–2.(ग)	अभ्यर्थी द्वारा दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा मानविकी (विज्ञानेत्तर) विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गयी हो।	उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्ष (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली–2019 में नियम–9 (क)(एक) में विज्ञान वर्ग में 40 प्रतिशत भौतिक, गणित से विज्ञान स्नातक एवं 40 प्रतिशत रसायन विज्ञान, जन्तु, वनस्पति विज्ञान से विज्ञान स्नातक तथा 20 प्रतिशत ऐसे स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों, जो उक्त विषयों से इतर अन्य विषयों से विज्ञान स्नातक योग्यताधारियों हेतु निर्धारित किये गये है। इसी प्रकार मानविकी वर्ग में 15 प्रतिशत अंग्रेजी भाषा, 15 प्रतिशत हिन्दी भाषा एवं 70 प्रतिशत अन्य मानविकी वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक योग्यताधारियों हेतु निर्धारित किये गये है। उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञान वर्ग एवं विज्ञानेत्तर वर्ग में निर्धारित किया जायेगा। चयन सूची प्रवेश परीक्षा की श्रेष्ठता के अवरोही क्रमानुसार तैयार की जायेगी।
2–2.(छ)	दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण स्व वित्त पोषित रूप से संचालित किया जायेगा। दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रतिवर्ष हेतु रु0 35000/– (पैंतीस हजार मात्र) प्रशिक्षण शुल्क लिया जायेगा एवं प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रति सेमेस्टर रु0 650/– परीक्षा शुल्क लिया जायेगा। प्राप्त शुल्क निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण के निवर्तन पर रखा	दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण स्व वित्त पोषित रूप से संचालित किया जायेगा। दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रतिवर्ष हेतु रु0 35000/– (पैंतीस हजार मात्र) प्रशिक्षण शुल्क लिया जायेगा एवं प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रति सेमेस्टर रु0 850/– (आठ सौ पचास) परीक्षा शुल्क लिया जायेगा। प्राप्त शुल्क निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण के निवर्तन पर रखा जायेगा।

	जायेगा।	
2–4. लिखित परीक्षा	लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। परीक्षा की अवधि 02 घण्टे होगी, जिसमें 200 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के 04 विकल्प दिये जायेंगे, जिनमें एक विकल्प सही होगा। प्रश्न मुख्यतः सामान्य ज्ञान/बोध, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति, संख्यात्मक योग्यता एवं शिक्षण अभिरूचि विषयों पर आधारित होंगे, जिनका ज्ञान एक सामान्य स्नातक से अपेक्षित है। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन ओ0एम0आर0 शीट आधारित होगा। अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर उसे परीक्षा में सम्मिलित कराया जायेगा, तत्पश्चात् सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जॉच कर अन्तिम चयन की कार्यवाही की जायेगी।	लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। परीक्षा की अवधि 02 घण्टे 30 मिनट होगी, जिसमें 200 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के 04 विकल्प दिये जायेंगे, जिनमें एक विकल्प सही होगा। प्रश्न मुख्यतः सामान्य ज्ञान/बोध, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति, संख्यात्मक योग्यता एवं शिक्षण अभिरूचि विषयों पर आधारित होंगे, जिनका ज्ञान एक सामान्य स्नातक से अपेक्षित है। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन ओ0एम0आर0 शीट आधारित होगा। अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर उसे परीक्षा में सम्मिलित कराया जायेगा, तत्पश्चात् सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जॉच कर अन्तिम चयन की कार्यवाही की जायेगी।
2–9 डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा शुल्क	दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र के शुल्क की दरें निम्नवत् निर्धारित होगी :– 1. सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए :– रु0 500/– 2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए :– रु0 250/– 3. सभी वर्गो के निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए :– रु0 125/–	दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र के शुल्क की दरें निम्नवत् निर्धारित होगी :– 1. सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए :– रु0 500/– 2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए :– रु0 250/– 3. सभी वर्गो के निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए :– रु0 125/– आवेदन पत्र बिक्री हेतु प्रति आवेदन पत्र रु0 40/– (चालीस रुपये मात्र) की धनराशि डाकघरों को दी

सं0:1389/XXIV-A-1/2020/02/2018.टी0सी0

प्रेषक,

आर0मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण,
उत्तराखण्ड।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 11 ~~दिसम्बर, 2020~~ जनवरी, 2021

विषयः– दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक SCERT/शि.शि.–सेवापूर्व/3613/दो–I(6)/2020–21 दिनांक 25 नवम्बर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा हेतु उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण के निर्धारण में कठिनाई के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–1028/XXIV(1)/2019/02/2018 दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में है।

2– अतएव द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या–1028/XXIV(1)/2019/02/2018, दिनांक 21.10.2019 में उल्लिखित प्राविधान में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

शासनादेश दि0 21.10.2019 में अंकित बिन्दु संख्या	शासनादेश संख्या–1028, दिनांक 21.10.2019 में उल्लिखित नियम	संशोधित नियम
2–2. (ग)	उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली– 2019 में नियम–9(क)(एक) में विज्ञान वर्ग में 40 प्रतिशत भौतिक, गणित से विज्ञान स्नातक एवं 40 प्रतिशत रसायन विज्ञान, जन्तु, वनस्पति विज्ञान से विज्ञान स्नातक तथा 20 प्रतिशत ऐसे स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों, जो उक्त विषयों से इतर अन्य विषयों से विज्ञान स्नातक योग्यताधारियों हेतु निर्धारित किये गये हैं। इसी प्रकार मानविकी वर्ग में 15 प्रतिशत अंग्रेजी भाषा, 15 प्रतिशत हिन्दी भाषा एवं 70 प्रतिशत अन्य मानविकी वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक योग्यताधारियों हेतु निर्धारित किये गये हैं। उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञान वर्ग एवं विज्ञानेत्तर वर्ग में निर्धारित किया जायेगा। चयन सूची प्रवेश परीक्षा की श्रेष्ठता के अवरोही क्रमानुसार तैयार की जायेगी।	शासनादेश संख्या–1028, दिनांक 21.10.2019 के बिन्दु संख्या–2–2.(ग) में अग्रेत्तर निम्नवत प्रस्तर को भी सम्मिलित किया जाता है :– **"श्रेणी, वर्ग एवं उप वर्गवार सीटों का वर्गीकरण करते हुए, सम संख्या आने पर उसे बराबर विषयों में विभाजित कर दिया जायेगा एवं विषम संख्या आने पर उसकी पूर्ति चक्रानुक्रम से श्रेणी के अनुसार आगामी प्रवेश परीक्षा में पूर्ति कर दी जायेगी। इसी प्रकार उर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण की भाँति ही क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण में भी सीटों का निर्धारण किया जायेगा।"**

basic-01

(307)

उपरोक्त संशोधन के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–433/XXIV(1)/2019–02/2018, दिनांक 16.08.2019 एवं शासनादेश संख्या–1028/XXIV(1)/2019/02/2018, दिनांक 21.10.2019 की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी। उपरोक्तानुसार शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

सं0: /XXIV-A-1/2020/02/2018 टी0सी0, तद्दिनांकित,

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
3. सभापति(उ0वि0शि0प0)/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

basic-01